

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी/कोरोना/2020/1098

दिनांक 3-9-2020

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
एस.एम.एस कॉलेज
जयपुर।

विषय:- Favipiravir 200mg Tablets कोरोना (COVID-19) महामारी की रोकथाम में प्रभावी होने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 990-A दिनांक 24.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित टिप्पणी के द्वारा Favipiravir 200mg Tablets कोरोना (COVID-19) महामारी की रोकथाम में प्रभावी होने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि "डाक्टर्स की टीम से जाँच करवाये कि यह दवा कोरोना में कितनी सद्पयोगी है।" बाबत निर्देशित किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही से अवगत कराने हेतु लिखा गया था परन्तु आज दिनांक तक प्रगति रिपोर्ट अप्राप्त है।

अतः पत्र की पुनः प्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाते हुए प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिवाजने का श्रम करें।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: आई.डी.एस.पी/कोरोना/2020/1098

दिनांक: 3-9-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा० चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर को उनके डायरी क्रमांक 5881 दिनांक 31.07.2020 के क्रम में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.) निदेशालय, मुख्यालय।
5. निजी सहायक, निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल करने व वेबसाइट पर अपलोड करने वास्ते।
7. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी/कोरोना/2020/1190-6

दिनांक: 24/08/2020

विषय: फेविपिराविर एवं नियंत्रक
सहायक निदेशक कोलकाता
जयपुर।

विषय:- Favipiravir 200mg Tablets कोरोना (COVID-19) महामारी की
रोकथाम में प्रभावी होने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय के अशा.टीप. क्रमांक: नि.स. /
चिस्वा./2020/12506 दिनांक 31.07.2020 एवं निदेशालय के पत्र
क्रमांक 983 दिनांक 21.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित टिप्पणी के साथ Favipiravir 200mg Tablets
कोरोना (COVID-19) महामारी की रोकथाम में प्रभावी होने के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापन सत्यापन
कर माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि डाक्टरों की टीम से जाँच करवाते
कि यह दवा कोरोना में कितनी सदुपयोगी है।

अतः पत्र की प्रति मय संलग्नक संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में आवश्यक
कार्यवाही कर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाते हुए प्रति अवेहस्ताक्षरकर्ता को भिजा देने का
भ्रम करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: आई.डी.एस.पी/कोरोना/2020/1190-6

दिनांक: 24/08/2020

सौचालिक निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा० चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर के
उनके डायरी क्रमांक 5881 दिनांक 31.07.2020 के क्रम में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.) निदेशालय, मुख्यालय।
5. निजी सहायक, निदेशक चिकित्सा शिक्षा, विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम को संवेधित को ई-मेल करने व वेबसाईट पर अपलोड करने का
व्यवस्थापन।
7. अक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी / कोरोना / 2020 / 355

दिनांक: 31.07.2020

निदेशक
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय— Favipiravir 200mg Tablets कोरोना (COVID-19) महामारी की रोकथाम में प्रभावी होने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय के अशा.टी.प. क्रमांक: निस्/चिस्वा./2020/12806 दिनांक 31.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित टिप्पणी के साथ Favipiravir 200mg Tablets कोरोना (COVID-19) महामारी की रोकथाम में प्रभावी होने के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापन संलग्न कर माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि डाक्टरों की टीम से जांच करवाये कि यह दवा कोरोना में कितनी सवुपयोगी है।

अतः पत्र की प्रति मय संलग्नक संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर उच्चाधिकारियों को अवगत करवाते हुए प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्देशित किया है।

अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: आई.डी.एस.पी / कोरोना / 2020 / 355

दिनांक: 31.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा० चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर को उनके डायरी क्रमांक 5881 दिनांक 31.07.2020 के क्रम में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) निदेशालय, मुख्यालय।
5. प्रभावी सर्वेक्षण फ़ॉर्म को संबंधित को ई-मेल करने व वेबसाईट पर अपलोड करने वास्ते।
6. नशिन पत्रावली।

अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।